इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2017—फाल्गुन 9, शक 1938

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 32 के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7 दिसम्बर 2016 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में लोक निर्माण विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, अपर सचिव.

अनुसूची "दो"
नि:शक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम—लोक निर्माण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक).	उपयंत्री (सिविल).	1421	1421	85	43	—	42	85	कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदान की जाती है.
	योग . .	1421	1421	85	43	—	42	85	
तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक).	उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स)	303	303	18	12	—	06	18	कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदान की जाती है.
	योग . .	303	303	18	12	—	06	18	

पी. एल. सोलंकी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.